

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-14/2018/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक २९/०१/२०२०
प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नवा रायपुर,
अटल नगर ।

विषय:- Diversion of forest land or non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed land for Bastar Net Project is about creating an optical fiber backbone network to boost the internet and telecome connectivity in Narayanpur division, area 0.854 ha.

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-694/3009, दिनांक 30.11.2019 तथा पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-694/13, दिनांक 04.01.2020 ।

---00---

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/- विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी 17 शर्तों की प्रथम चरण अनुमति पत्र की मूल प्रति एवं प्रस्ताव की एक प्रति (विभागीय अभिलेखों में संधारण हेतु) तथा वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति की शर्त क्र. (XV) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर नारायणपुर से जारी होने वाला वन अधिकार प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके आधार पर वनमंडलाधिकारी की अनुमति को राज्य शासन स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट में Online Upload किया जा सके।

Regional
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठांक/क्रमांक/एफ 5-14/2018/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक २९/०१/२०२०
प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Regional
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग